दूरभाष संख्या 0621–2212101[का]
0621–2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पॉलीथीन शीट्स के क्रय हेतु निविदा संख्या–01 / 2017–18

बाढ़ आपदा एवं अग्निकांड से निपटने एवं बचाव कार्य के लिए मुजफ्फरपुर जिला में पॉलीथीन शीट्स के भंडारण की आवश्यकता के मद्देनजर विभागीय पत्रांक 3175 / आ०प्र० दिनांक 24.08.16 के आलोक में पॉलीथीन शीट्स का क्रय हेतु DGS & D द्वारा निबंधित आपूर्तिकर्त्ता एवं अन्य इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा शीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदादाताओं को मो०–50,000.00 (पचास हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के नाम से विकलनीय होगा। निविदा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में दिनांक 24/5/17 के अपराह्न 02:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्रम	सामग्री का नाम	आकार	गुणवता	मात्रा
01	पॉलीथीन शीट्स	5m x 4m	Low Density, पॉलीथीन फिल्म ग्रेड 030, मोटाई 2.50 माईक्रोन, आई०एस०आई०	20,000 (बीस हजार शीट्स)

निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. आपूतिकर्त्ता को पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति उपर दिए गये विवरण के आलोक में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
2. निविदा वित्तीय एवं तकनीकी, दो भागों में दाखिल की जायेगी। वित्तीय निविदा में दर संबंधी विवरण तथा तकनीकी निविदा में अन्य सभी वांछित कागजात जमा किये जायेगें। तकनीकी निविदा के समय आपूर्ति की जानेवाली वस्तु का नमूना संलग्न, करना आवश्यक होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर / TIN नम्बर / अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र फर्म की अनुज्ञप्ति / अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति / काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना होगा। दो वर्षो (वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16) का वार्षिक आयकर दाखिल का प्रमाण–पत्र देना होगा। निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता अगर बिहार राज्य के हो तो उन्हें निविदा के साथ वैट निबंधन का प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन दाखिल विवरणी की छायाप्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न करना होगा। बिहार एवं बिहार के बाहर दोनों कोटि के आपूर्ति से नियमानुसार वैट की राशि की कटौती की जायेगी। तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा में पॉलीथीन शीट्स की दर उपरोक्त आकार एवं गुणवत्ता का प्रति क्विंटल सभी कर सहित करनी होगी।
6. आपूरित पॉलीथीन शीट्स CIPET Hajipur द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण–पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी सुरक्षित होगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
10. इस निविदा को मुजफ्फरपुर जिले की वेबसाईट www.muzaffarpur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है। कार्यालय समय में आपदा प्रबंधन प्रशाखा की दूरभाष संख्या–0621–2213513 पर या व्यक्तिगत रूप से प्रशाखा में जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की

11. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं मात्रा में) की आपूर्ति इस आदेश के निर्गत होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मुजफ्फरपुर समाहरणालय में करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत् कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दण्ड की राशि (Penalty) की भी कटौती की जायेगी।
12. आपूर्ति हेतु कोई अग्रिम अथवा अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
13. आपूर्ति की जानेवाली पॉलीथीन शीट्स गुणवत्ता की जाँच अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मुजफ्फरपुर, महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, मुजफ्फरपुर एवं लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर गुणवत्ता जाँच समिति के सदस्य होगें।
14. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
15. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन
प्रशाखा, मुजफ्फरपुर

30/04/17
अपर समाहर्त्ता
आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।